




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

~~काररबाउ सरकार~~

श्री. पी. सुभाषी कानून सुजित राय बनाम बोद्धल सहली तारीह
जिला-राँची

| क्र०/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|-----------|---|----------------|
| | <p>अभिलेख सं०-एम.....<u>५४</u> / 2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>सुभाषी</u> के अप्राथमिकी सं०-<u>२०/१८</u> दिनांक-<u>६-५-१८</u> प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>मिल्ली विधान सभा उप-चुनाव को लेकर श्री श्री. पी. सुजित राय</u> <u>११/१८ दिनांक ६/५/१८</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति शुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>२५-०५-१८</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center"> <u>अभिलेख उपस्थापित / द्वितीय पत्र क्रमांक</u> <u>०१,०२ उपस्थापित अन्य सभी अनुपस्थापित /</u> <u>दिनांक २४-०५-१८ को रखे।</u> </p> <p align="right">  <u>३/५/१८</u> </p> | |

5-05-18

| तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|------|---------------------------------|
|------|---------------------------------|

30-11-18

आभिलेखन इतरचापित्त। विपक्षी अडपलित्त
विधाकसमा उप इगाव अन्तिपूर्परनय खै सप्यअ
है गरी हो अतः वार में आभिलेखन की
कारवाही बन्द की जाती है।


30/11/18